

प्रेषक,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा

सेवा,


सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली


पत्रांक / एस०टी० / एन०ओ०सी० / 130-36 / 2010-2011 दिनांक 03-02-2011
विषय:- एन०टी० जैन पब्लिक स्कूल, वाह, आगरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991
एवं राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के अनुपालन में
एन०टी० जैन पब्लिक स्कूल, वाह, आगरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1- विद्यालय की पुंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मैधावी बच्चों के
लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संरक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सैकेण्ट्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई
दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धतां प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेगा।
- संरक्षा के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों की आयुगन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये
जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संरक्षा उनका पालन
करेंगी।
- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर अग्निशमन अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।


Principal
N. D. Jain Public School
BAH (AGRA)
BAH (AGRA)


N. D. JAIN PUBLIC SCHOOL
N. D. JAIN PUBLIC SCHOOL
BAH (AGRA)
BAH (AGRA)

10- नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधिक सुरक्षा मानकों का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभियंता से प्राप्त कर लिया जाय।

11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के दिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदृष्ट अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर एम० बोबडे)

आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा

पू०स०/एस०टी०/एन०ओ०सी०/ 130-36 /2010-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

सचिव (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, आगरा।

4- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।

5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- प्रबन्धक, एन०डी० जैन पब्लिक स्कूल, वाह, आगरा।

7- गार्ड फाइल।

(सुधीर एम० बोबडे)

आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा

Renukaksh
Principal

N. D. Jain Public School

BAH (AGRA)

K. K. Shukla
Principal

N. D. Jain Public School

BAH (AGRA)

निष्ठा कुमारी
MANAGER
N. D. JAIN PUBLIC SCHOOL
BAH (AGRA)